न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 14/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

एयु स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम ''ए.यू. फाईनेन्सर्स(इण्डिया) लि.'')
पताः– 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001 राजस्थान।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. जयराम सैनी पुत्र छोटू राम सैनी (ऋणी व बंधनकर्ता)
   पताः– ढ़ाणी जाटाला, ग्राम मावण्डा कलां, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राज. 332713
   दूसरा पताः– प्लॉट जो खसरा नम्बर 878 व 879, ढ़ाणी जाटाला, ग्राम मावण्डा कलां, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राज. 332713
2. गीतादेवी पत्नी जय राम सैनी (सहऋणी)
   पताः–57, ढ़ाणी जाटाला, ग्राम मावण्डा कलां, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राज.
3. बाबू लाल पुत्र छोटू राम सैनी (जमानती)
   पताः– ढ़ाणी जाटाला, ग्राम मावण्डा कलां, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राज. 332713

अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 05 फरवरी, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **महेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **जयराम सैनी, गीतादेवी, बाबू लाल** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **जय राम सैनी पुत्र छोटू राम सैनी की सम्पति जो प्लॉट खसरा नम्बर 879/2/2, ढ़ाणी जाटाला, ग्राम मावण्डा कलां, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राज. में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 539 वर्गगज है। जिसके उत्तर में विष्णु की भूमि, दक्षिण में सड़क, पूर्व में मंगूराम सैनी की भूमि, पश्चिम में घीसा राम सैनी की भूमि स्थित है,** को बंधक रखकर 7,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये **सात लाख** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **09.06.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **09.06.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **जयराम सैनी, गीतादेवी, बाबू लाल** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **जय राम सैनी पुत्र छोटू राम सैनी की सम्पति जो प्लॉट खसरा नम्बर 879/2/2, ढ़ाणी जाटाला, ग्राम मावण्डा कलां, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राज. में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 539 वर्गगज है। जिसके उत्तर में विष्णु की भूमि, दक्षिण में सड़क, पूर्व में मंगूराम सैनी की भूमि, पश्चिम में घीसा राम सैनी की भूमि स्थित है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः 05 फरवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner